E-Mail:reliefbhilwara1234@gmail.com

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, भीलवाड़ा

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/Restoration/18207844 दिनांक: 08/10/2025

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर

विषय :– एसडीआरएफ मद में अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के कार्यों के लिए जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए बजट डिमाण्ड के क्रम में ।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 14545448 दिनांक 03.04.2025 एवं पत्र दिनांक 14.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु विभाग द्वारा जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 111/2025–26 के क्रम में राशि **85491000/- रूपये** की निम्नानुसार बजट डिमाण्ड की जानी है, बजट उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

प्रारूप (बजट डिमाण्ड)

गतिविधि/आपदा/खराबे का विवरण – **मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरूत्थान**

क्र. सं.	मद/गतिविधि के लिये संवत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की	
		संख्या	राशि रू.	संख्या	राशि रू.	संख्या	राशि रू.
0	1	2	3	4	5	6	7
01	मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरूत्थान (कुल कार्य 384)	-	-	-	85491000	-	-

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature valid
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.10.08 15:45:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18207844
eSign 1.0

1469
01/10/25

DM/ADM सहायता
Date: OCT 2025
Inward No.

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(38)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / जयपुर, दिनांक

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 111 / 2025–26</u>

1. **सड़क मरम्मत :–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा / बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **भीलवाड़ा** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 33236 दिनांक 29.08.2025 के आधार पर अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, आसींद तह. व ब्लॉक हुरडा के 51 कार्य हेतु राशि रूपये 100.75 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, आसींद तह. व ब्लॉक बनेड़ा के 37 कार्य हेतु राशि रूपये 93.53 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, भीलवाडा ब्लॉक माण्डल के 26 कार्य हेतु राशि रूपये 64.60 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, माण्ड़लगढ तह. व ब्लॉक माण्ड़लगढ के 48 कार्य हेतु राशि रूपये 78.59 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, माण्ड़लगढ तह. भीलवाडा ब्लॉक सुवाण के 54 कार्य हेतु राशि रूपये 138.31 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, माण्ड़लगढ तह. हमीरगढ़ ब्लॉक माण्ड़लगढ के 17 कार्य हेतु राशि रूपये 43.17 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, माण्ड़लगढ तह. व ब्लॉक कोटड़ी के 62 कार्य हेतु राशि रूपये 147.35 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, शाहपुरा तह. व ब्लॉक शाहपुरा के 37 कार्य हेतु राशि रूपये 113.89 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, शाहपुरा तह. व ब्लॉक जहाजपुर के 47 कार्य हेतु राशि रूपये 83.12 लाख **कुल 379 कार्यों हेतु राशि रूपयें 863.31 लाख (अक्षरे रूपये आठ करोड़ तिरेसठ लाख इकतीस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

2. **पुलिया मरम्मत :–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा / बाढ़ से क्षतिग्रस्त **पुलों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **भीलवाड़ा** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 83236 दिनांक 29.08.2025 के आधार पर अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड, आसींद तह. व ब्लॉक हुरडा के 06 कार्य हेतु राशि रूपये 3.60 लाख **कुल 06 कार्यों हेतु राशि रूपयें 3.60 लाख (अक्षरे रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

कुल 379 कार्यो हेतु राशि रूपयें 863.31 लाख एवं कुल 06 पुलिया हेतु राशि रूपयें 3.60 लाख, कुल 385 कार्यो हेतु राशि रूपयें 866.91 लाख (अक्षरे रूपये आठ करोड छियासठ लाख इकरानवे हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

RajKaj Ref No.: 17946937
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.24 10:41:45 IST
Reason: Approved

(i) विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।

(ii) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

(iii) जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।

(iv) बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) वे सड़कें जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

(vi) जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि, बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश कमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

(vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

(viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

(ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

(x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(xi) इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
106– खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]– [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

(xii) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwah
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.24 10:41:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17946937
eSign 1.0

(xiii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

(xiv) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

(xv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

(xvi) कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।

(xvii) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(शैफाली कुशवाह)
शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
17946937
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.24 10:41:45 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **भीलवाडा** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड माण्डलगढ़ तह. व ब्लॉक बिजौलिया के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। अतः उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

   अधिशाषी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड सुवाणा तह. व ब्लॉक सुवाणा सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में ग्रेवल सडक हेतु राशि की मांग की गयी है, जो एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत नही होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, भीलवाडा।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.: 17946937
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.24 10:41:45 IST
Reason: Approved

E-Mail:reliefbhilwara1234@gmail.com
Phone No. 01482-232671

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, भीलवाड़ा

क्रमांक : जिआप्रप्रा / SDRF / Restoration / 2025–26 / 17993954 दिनांक: 01 / 10 / 2025

–:: प्रशासनिक स्वीकृति ::–

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 83236 दिनांक 26.08.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक क्रमांक एफ.8(38)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ / प्रस्ताव / 2025 / 17946937 दिनांक 24.09.2025 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 111 / 2025–26 प्राप्त हो चुकी है। उक्त स्वीकृति की पालना में मानसून सत्र 2025 के दौरान अत्यधिक वर्षा / बाढ़ से क्षतिग्रस्त सावर्जनिक परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार हैं –

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों का विवरण

क्र. स.	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	डिवीजन का नाम	ब्लॉक	रोड की संख्या	रोड की लम्बाई (कि.मी. में)	राशि (लाखो मे)
1	सा.नि.वि., भीलवाडा	आसींद	हुरडा	51	167.91	100.75
2		आसींद	बनेडा	37	134.55	93.53
3		भीलवाडा	माण्डल	26	93.60	64.60
4		माण्डलगढ	माण्डलगढ	48	130.98	78.59
5		माण्डलगढ	सुवाणा (तहसील भीलवाडा)	53	194.52	126.31
6		माण्डलगढ	सुवाणा (तहसील हमीरगढ)	17	71.95	43.17
7		माण्डलगढ	कोटडी	62	245.58	147.35
8		शाहपुरा	शाहपुरा	37	172.40	113.89
9		शाहपुरा	जहाजपुर	47	123.87	83.12
योग				**378**	**1140.84**	**851.31**

सार्वजनिक निर्माण विभाग के पुलों का विवरण

क्र. स.	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	डिवीजन का नाम	ब्लॉक	पुल की संख्या	पुल की लम्बाई (कि.मी. में)	राशि (लाखो मे)
1	सा.नि.वि., भीलवाडा	आसींद	हुरडा	6	1.21	3.60
योग				**6**	**1.21**	**3.60**

कुल योग

क्र.स.	कुल सड़के	कुल पुल	कुल राशि (लाखों में)
1	378	6	854.91

राज्य सरकार से निम्न बजट मद में बजट प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेंगी।

बजट मद–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढचक्रवात आदि
106– खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
08– (बाढ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
01– सडकों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)

Signature valid
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.01 1[illegible]:40:31 IST
Reason: Approved

इस राशि का उपयोग निम्न शर्तों की अक्षरशः पालना के पश्चात् किया जायेगा :–

(i) विभाग द्वारा Per Km दर से राशि का निर्धारण SDRF नॉर्म्स अनुसार किया गया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़को के Restoration पर न करें।

(ii) बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर इस कार्यालय स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) वे सड़के जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है। अतः इसकी सुनिश्चिता की जावें।

(iv) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे SDRF में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

(v) इस कार्यालय से बजट की मांग किए जाने से पूर्व बजट SDRF नार्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि की गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जावें। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जावें।

(vi) कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वीकृत कार्यों को कार्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्म्त का उद्देश्य पूर्ण हो सकें। कार्य प्रारम्भ की दिनांक से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(vii) **उपखण्ड स्तरीय समिति से यह प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है एवं समस्त कार्य SDRF मापदण्ड वं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।**

(viii) **प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावें।**

(ix) **क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।**

(x) कार्य पूर्ण होने के पूर्व तथा पश्चात् के GPS फोटोग्राफ अधीक्षण अभियन्ता सर्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भीलवाडा द्वारा इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजें जावे।

(xi) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।

(xii) **वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी एजेंसी की होगी।**

(xiii) **परिसम्पतियों का तात्कालिक मरम्म्त एवं पुनरूत्थान ही किया जाना है, न कि नया निर्माण।**

(xiv) **इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में तकनीकी स्वीकृति जारी कर अपेक्षित बजट मांग इस कार्यालय को प्रेषित करें।**

(xv) श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 8(01)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

(xvi) श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 8(38)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ 17946937 दिनांक 24.09.2025 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अक्षरशः पालना की जावें।

नोट :–

1. अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड माण्डलगढ तहसील व ब्लॉक बिजौलिया के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा सही नहीं पाई जाने से विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।
2. अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि. ब्लॉक सुवाणा सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में ग्रेवल सड़क हेतु राशि की मांग की गयी है, जो एसडीआरएफ नॉर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

Signature valid
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10 IST
Reason: Approved

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव, आपदा प्रबनधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयुपर।
03. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबनधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत, भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करा तत्काल इस कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करावें।
06. उपखण्ड अधिकारी आसीन्द, गुलाबपुरा, बनेडा, भीलवाडा, माण्डल, माण्डलगढ, हमीरगढ, कोटडी, शाहपुरा एवं जहाजपुर को पालनार्थ।
07. अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड आसींद, भीलवाडा, माण्डलगढ एवं शाहपुरा को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
08. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर
भीलवाडा

Signature valid

Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.01 1?:40:31 IST
Reason: Approved